पत्रांक–10 / न्याय–05–(शेखपुरा)–15 / 2015सा0प्र0 5293 /

वित्त विभाग द्वारा
अनौपचारिक रूप से
परामर्शित

बिहार सरकार,
सामान्य प्रशासन विभाग।

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15 दिनांक– 3.5. / 2017

विषयः– **बिहार क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय आशुलिपिक / आशुटंकक संवर्ग के विभिन्न पदों की स्वीकृति ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3011 दिनांक–20.03.2012 तथा संकल्प संख्या–7549 दिनांक–22.09.2016 के द्वारा आशुलिपिक / आशुटंकक संवर्ग में निम्नांकित स्तर के पदों एवं वेतनमान की स्वीकृति दी गयी है :–

क्र0	कोटि	स्तर	वेतनमान
	आशुलिपिक ग्रेड III आशुटंकक III	मूल कोटि	पी0बी0–1+ग्रेड पे 2400 (वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3011 दिनांक– 20.03.2012 के क्रम में.)
	आशुलिपिक, ग्रेड II आशुटंकक II	प्रोन्नति का प्रथम स्तर	पी0बी0–2+ग्रेड पे 4200 (वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3011 दिनांक– 20.03.2012 के क्रम में)
	वरीय आशुलिपिक, ग्रेड I आशुटंकक I	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर	पी0बी0–2+ग्रेड पे 4600 (वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3011 दिनांक– 20.03.2012 के क्रम में)
	प्रधान आशुलिपिक प्रधान आशुटंकक	प्रोन्नति का तृतीय स्तर	पी0बी0–2+ग्रेड पे 4800 (वित्त विभागीय संकल्प संख्या–7549 दिनांक– 22.09.2016 के क्रम में)

उक्त क्रम में प्रत्येक जिला में स्वीकृत पदों के अन्तर्गत इस संवर्ग के मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदों का निर्धारण 40 : 30 : 20 : 10 के अनुपात में रहेगा। यह प्रावधान प्रत्येक जिला में बिहार क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय आशुलिपिक / आशुटंकक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2015 के अधिसूचित होने की तिथि 11.06.2015 के प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

28/4/17

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।